मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग हेतु विधि अधिकारी (Law Officer) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन 2026

विज्ञापन क्रमांक	ऑनलाइन आवेदन करने की	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र
14/2026/ 04.11.2026	अंतिम तिथि 22.12.2026	जमा करने की अंतिम तिथि 28.12.2026

भाग : "A"

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन-पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग हेतु विधि अधिकारी (Law Officer) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र दिनांक 23.11.2026 से दिनांक 22.12.2026 तक आयोग की वेबसाइट www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in के माध्यम से भरे जा सकते हैं।
3. विधि अधिकारी (Law Officer) के पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के बाद समस्त आवश्यक दस्तावजों के साथ बिना किसी विलंब शुल्क के दिनांक 28.12.2026 (शाम 06:00 बजे) तक आयोग कार्यालय में जमा करना भी आवश्यक है ताकि विलम्ब शुल्क के भुगतान की परिस्थिति उपस्थित न हो। अपरिहार्य कारणों से अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक आयोग कार्यालय में अभिलेख जमा नहीं कर पाते हैं, उनकी सुविधा हेतु विलम्ब शुल्क के साथ आयोग कार्यालय में अभिलेख जमा करने की निम्नानुसार व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है :-

दिनांक 29.12.2026 से दिनांक 04.01.2027 तक	विलम्ब शुल्क ₹3000/-

- ऑनलाइन पंजीकृत आवेदक जिन्होंने दिनांक 28.12.2026 के पश्चात 05 कार्यालयीन अर्थात दिनांक 04.01.2027 दिवस तक भी आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों से उम्मीदवारी निरस्ती संबंधी विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी एवं विज्ञप्ति जारी किए जाने की तिथि से 10 कार्यालयीन दिवस की अवधि तक विलंब शुल्क ₹25000/- जमा कर आयोग कार्यालय में अभिलेख स्वीकार किए जाएंगे।
- विलम्ब शुल्क के माध्यम से अभिलेख जमा करने वाले आवेदकों से अभिलेख जमा करने के पूर्व अभिवचन-पत्र देना आवश्यक होगा कि आवेदक अपनी समस्त अर्हताएं एवं अनुभव विज्ञापन अनुसार धारित करता है। आवेदक अर्हता एवं अनुभव की जॉच उपरात ही अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा करें। विलंब शुल्क के माध्यम से अभिलेख जमा करने के पश्चात यदि किसी आवेदक की उम्मीद्वारी किसी भी कारण से निरस्त होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा, आवेदक विलंब शुल्क वापसी का अधिकार धारित नहीं करेगा।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2027 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10 वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अत: अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र मे उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त पद के लिए अभ्यर्थी द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान क्रेडिट / डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट -तीन का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित है। आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश / आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 25.11.2026 से 24.12.2026 तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। ध्यान रखे कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।

2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अत: वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।

E. पात्रता :-

1. शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव-

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उपाधि।

यदि अंकसूची में अंकप्रणाली के स्थान पर ग्रेडिंग प्रणाली हो तो अभ्यर्थी को उसे प्राप्त ग्रेड के प्रतिशत मूल्य के प्रमाणन विषयक संबंधित विश्वविद्यालय के प्रासंगिक अभिलेखों के अनुसमर्थन के साथ शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. अनुभव :- अभ्यतर्थी को माननीय उच्च न्यायालय में सेवा संबधित मामलों (Service Matters) के विधिक दायित्व का न्यूनतम पॉच वर्षों का वकालत अनुभव हो, जिसमें कम से कम विभिन्न 50 पृथक-पृथक निर्णित तथा लंबित प्रकरणों का अनुभव अनिवार्य है।

अभ्यर्थी को अनुभव के प्रमाणन हेतु शपथ आयुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित शपथ-पत्र आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप (विज्ञापन का परिशिष्ट -3) में प्रस्तुत करना होगा जिसमें उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों में प्रकरणों के संदर्भ में उनकी उपस्थिति का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा।

2. नोट :-

1. शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव तथा शेष अन्य अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22.12.2026 तक जारी किए हुए होना आवश्यक है।

I. यदि आवेदक द्वारा विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं/ अन्य अर्हताएं पूर्ण न होने पर भी आवेदन किया जाता है और आयोग के संज्ञान में किसी भी स्तर पर यह ज्ञात होता है कि आवेदक द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं/ अन्य अर्हताएं पूर्ण न होते हुए भी आवेदन किया गया है तो आवेदक को आयोग की परीक्षाओं से विवर्जित किया जा सकेगा।

II. यदि अभ्यर्थी आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुक्रम में ऑनलाइन आवेदन पत्र में गलत / असत्य, त्रुटिपूर्ण जानकारी देता /देती है अथवा एक से अधिक आवेदन करता / करती है तब चयन के किसी भी स्तर पर आयोग के संज्ञान में आने पर उसकी उम्मीदवारी निरस्त किए जाने तथा उक्त परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं से विवर्जित किए जाने / वैधानिक कार्यवाही का सम्पूर्ण अधिकार आयोग को होगा। आयोग द्वारा परीक्षा के किसी भी चरण में कोई भी दस्तावेज मंगाए जाने पर उन्हें उपलब्ध करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इसके लिए अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का न्यायालयीन वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

F. परीक्षा/चयन नियम एवं निर्देश आदि :-

1. चयन / परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जो भी संशोधन / निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों / निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन / परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय -समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य / दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

G. सूचना का अधिकार

1. चयन प्रक्रिया के दौरान विज्ञापन से संबंधित कोई जानकारी प्रदान नहीं की जाएगी।
2. अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के 01 वर्ष पश्चात विज्ञापन से संबंधित समस्त अभिलेख विनष्ट कर दिए जाएंगे।

H. अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अत: समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल / पत्राचार / दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
3. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किया जाएंगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर

E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

5. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य विधि अधिकारी (Law Officer) के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					मध्यप्रदेश के मूलनिवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	UR	SC	ST	OBC	EWS	LD	VH	HH	MD
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

दो पद का विवरण

01	पद का नाम	:	विधि अधिकारी (Law Officer)
	विभाग का नाम	:	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
	श्रेणी	:	राजपत्रित प्रथम श्रेणी
	पद स्थिति	:	स्थायी
	वेतनमान	:	रुपऐ 15600-39100 (ग्रेड पे 6600)
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	न्यायालयीन प्रकरणों संबंधी विधिक दायित्व

तीन शैक्षणिक अर्हता : <u>अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता</u> :-

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उपाधि। यदि अंकसूची में अंकप्रणाली के स्थान पर ग्रेडिंग प्रणाली हो तो अभ्यर्थी को उसे प्राप्त ग्रेड के प्रतिशत मूल्य के प्रमाणन विषयक संबंधित विश्वविद्यालय के प्रासंगिक अभिलेखों के अनुसमर्थन के साथ शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. अनुभव :- अभ्यतर्थी को माननीय उच्च न्यायालय में सेवा संबधित मामलों (Service Matters) के विधिक दायित्व का न्यूनतम पॉच वर्षों का वकालत अनुभव हो, जिसमें कम से कम विभिन्न 50 पृथक-पृथक निर्णित तथा लंबित प्रकरणों का अनुभव अनिवार्य है। अभ्यर्थी को अनुभव के प्रमाणन हेतु शपथ आयुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित शपथ-पत्र आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप (विज्ञापन का परिशिष्ट -3) में प्रस्तुत करना होगा जिसमें उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों में प्रकरणों के संदर्भ में उनकी उपस्थिति का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा।

 (अनुभव प्रमाण-पत्र के प्रारूप हेतु परिशिष्ट 3 का अवलोकन करें।)

विशेष:

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22.12.2026 तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड / पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/ पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र / सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/ सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

परिवीक्षा :- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

चार मध्य प्रदेश सिविल सेवाऐं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके

पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते है। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छः आयु सीमा: 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।
(अनारक्षित पद होने से आयु-सीमा में कोई छूट देय नहीं है)

सात आयु संगणना तिथि 01.01.2027

आठ **अधिवार्षिकी आयु :- मध्य प्रदेश विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी "मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिनियम 1967" में समय-समय पर जारी संशोधन उपरांत निहित प्रावधान अनुसार निर्धारित की जाएगी।**

नौ चयन प्रक्रिया :-

(क) चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभिलेखों की संवीक्षा उपरांत अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर 12उम्मीदवारों को तथा कट ऑफ के समान अंक वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों।

(ख) साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 है तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक 41 है।

(ग) अंतिम चयन साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा।

विज्ञापित पद हेतु अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/ उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा।

दस आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेगें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट -2 का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

बारह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(1) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश परिशिष्ट -1

(2) आवेदन-पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां परिशिष्ट-2

(3) अनुभव प्रमाण-पत्र हेतु परिशिष्ट-3

उप सचिव

भाग - "C"

महत्वपूर्ण तिथि एवं विलंब शुल्क संबंधित व्यवस्था

ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि	:	23.11.2026
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	:	22.12.2026
ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि-सुधार करने की प्रारंभ तिथि	:	25.11.2026
ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि-सुधार करने की अंतिम तिथि	:	24.12.2026
आयोग कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन के साथ अभिलेख प्रेषित करने की अंतिम तिथि	:	28.12.2026
विलंब शुल्क संबंधित व्यवस्था		
आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रेषण की अंतिम तिथि के पश्चात 3000/- बिलंब शुल्क के साथ आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रेषित करने की अंतिम तिथि	:	04.01.2027

- ऑनलाइन पंजीकृत आवेदक जिन्होंने दिनांक 28.12.2026 के पश्चात 05 कार्यालयीन अर्थात दिनांक 04.01.2027 दिवस तक भी आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों से उम्मीदवारी निरस्ती संबंधी विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी एवं विज्ञप्ति जारी किए जाने की तिथि से 10 कार्यालयीन दिवस की अवधि तक विलंब शुल्क ₹25000/- जमा कर आयोग कार्यालय में अभिलेख स्वीकार किए जाएंगे।
- विलम्ब शुल्क के माध्यम से अभिलेख जमा करने वाले आवेदकों से अभिलेख जमा करने के पूर्व अभिवचन-पत्र देना आवश्यक होगा कि आवेदक अपनी समस्त अर्हताएं एवं अनुभव विज्ञापन अनुसार धारित करता है। आवेदक अर्हता एवं अनुभव की जॉच उपरात ही अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा करें। विलंब शुल्क के माध्यम से अभिलेख जमा करने के पश्चात यदि किसी आवेदक की उम्मीद्वारी किसी भी कारण से निरस्त होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा, आवेदक विलंब शुल्क वापसी का अधिकार धारित नहीं करेगा।

विलम्ब शुल्क के माध्यम से अभिलेख जमा करने वाले आवेदकों से अभिलेख जमा करने के पूर्व अभिवचन-पत्र

मैं पिता श्री यह अभिवन देता हूँ कि समस्त अर्हताएं एवं अनुभव विज्ञापन अनुसार धारित करता हूँ। संबंधित पद हेतु विज्ञापन में प्रकाशित अर्हता एवं अनुभव की जॉच उपरात ही अभिलेख आयोग कार्यालय में कर रहा हूँ। यदि मेरी उम्मीद्वारी किसी भी कारण से निरस्त होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा स्वयं का होगा एवं मैं विलंब शुल्क वापसी का अधिकार धारित नहीं करूंगा।

हस्ताक्षर :

आवेदक का नाम:

पता :

परिशिष्ट - 1

अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. विधि अधिकारी (Law Officer) के पद के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22.12.2026 तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य हैं, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होगें। यदि अभिलेखों की जॉच उपरांत यहं पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीद्वारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार्य योग्य नहीं होगा।

2. ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।

3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

4. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरूष/महिला की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

5. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।

6. ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही समस्त आवेदकों को अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वाछित दस्तावेज आदि की हार्ड कॉपी की स्व-प्रमाणित प्रति आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।

संलग्न दस्तावेजों की सूची

परिशिष्ट प्रपत्र 01 -
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक-: 14/2026 दिनांक 04.11.2026
परीक्षा का नाम:- विधि अधिकारी (Law Officer)के पदों की पूर्ति 2026

आवेदक का नाम :- रोल नम्बर :-

स.क्र.	दस्तावेजों का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	सचयी योग
1.	उपस्थिति पत्रक – 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक तक से	
2.	व्यक्तिगत विवरण – 01 मूल प्रति एवं 05 छायाप्रति (05 छायाप्रति पृथक से प्रस्तुपत करना है एवं छायाप्रति में नम्बरिंग नहीं करना है।)	पृष्ठ क्रमांक तक से	
3.	अनुप्रमाणन फार्म - 03 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक तक से	
4.	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा में विवर्जित (डिबार) नहीं होने संबंधी) – 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक तक से	
5.	हाईस्कूल की अंकसूची।	पृष्ठ क्रमांक तक से	
6.	हायर सेकण्डरी की अंकसूची।	पृष्ठ क्रमांक तक से	
7.	स्नातक के समस्त वर्षो की अंकसूचियाँ एवं उपाधि।	पृष्ठ क्रमांक तक से	
8.	अनुभव प्रमाण-पत्र परिशिष्ट-3 अनुसार	पृष्ठ क्रमांक तक से	
9.	मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की प्रति। (मेन्युअल प्रमाण पत्र में गोलसील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।)	पृष्ठ क्रमांक तक से	
10.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र। (मेन्युअल जाति प्रमाण पत्र में जारी करने का दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नही होंगे।) म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे) (ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22.12.2026 अथवा उसके पूर्व जारी)	पृष्ठ क्रमांक तक से	
11.	दिव्यांग होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि का या पूर्व की तिथि का जीवित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के http:\\www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे)	पृष्ठ क्रमांक तक से	
12.	महिला आवेदकों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति।	पृष्ठ क्रमांक तक से	
13.	1. शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति। अनापत्ति प्रमाण पत्र न हो तो परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22.12.2026 अथवा उसके पूर्व विभाग में अनापत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र की प्रति संलग्नत करें। 2. अशासकीय सेवक होने की स्थिति में सेवा में होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।	पृष्ठ क्रमांक तक से	
14.	मध्य प्रदेश की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र – 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक तक से	
15.	भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22.12.2026 अथवा उसके पूर्व के भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी दस्तातवेज की प्रति एवं सेवावधि के विवरण पत्रक की प्रति।	पृष्ठ क्रमांक तक से	

16.	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र । कोई एक (आधार-कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/पेन कार्ड/बैंक पासबुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने पर नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्रायविंग लायसेंस)	पृष्ठ क्रमांक तक से	
17.	न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में अनुप्रमाणन फार्म के पृष्ठ 4 कंडिका 16 एवं पृष्ठ 5 पर कंडिका 17 में अंकित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में दस्तावेजों की छायाप्रति । (03 प्रति)।	पृष्ठ क्रमांक तक से	
		पृष्ठ क्रमांक तक से	
		कुल संलग्न दस्तावेजों की संख्या -:	

आवेदक के हस्ताक्षर

*** उक्त प्रारूप में संलग्न प्रमाण-पत्र विज्ञापन के परिशिष्टि-दो में यथा निर्धारित तिथियों या उसके पूर्व जारी होना अनिवार्य है । इसका पालन न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वत: समाप्त हो जाएगी।**

* उक्त प्रमाण – पत्रों के निर्धारित प्रारूप आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है ।

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1- ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

1- उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगें

1. www.mponline.gov.in
2. www.mppsc.mp.gov.in

2- अभ्यर्थी mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही आवेदन/ परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें तथा आवेदन-पत्र की भलीभांति जांचकर सुनिश्चित कर लें कि भुगतान हो चुका है। mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in, तथा www.mppsc.mp.gov.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।

3- अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते है। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते है।

4- अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइले तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय अपलोड करना होगा। mponline के अधिकृत कियोस्क पर स्केनिंग की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते है तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखे स्पष्टत: दिख रही हो।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं है। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य है किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाए। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

5- ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ मे अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध अनुदेशों तथा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर तदनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरें।

6- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह माना जाएगा कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म मे अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन-पत्र submit करें।

7- आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्रsubmit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें

भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8- त्रुटि सुधार सुविधा :- अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 25.11.2026 से 24.12.2026 (रात्रि 12:बजे) तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।** अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्रोंमें भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित / अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांगजन)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा ।

9- आवेदन-पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

(1) आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** के **Download Formate** लिंक से अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक, एवं उपस्थिति-पत्रक डाउनलोड करके उनकी पूर्ति करें। पूर्ति पश्चात उक्त प्रपत्रों की क्रमश: तीन, छ: तथा एक छाया प्रति करायें।

(2) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने तथा शुल्क भुगतान के पश्चात प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित भुगतान विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान हो चुका है। यह भी जांच कर लें कि समस्त प्रविष्टियां सही है (त्रुटि होने पर विहित अवधि मे त्रुटि सुधार कर लें **(देखें बिन्दु-8)**। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा साथ ही अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, एवं उपस्थिति पत्रक की एक एक प्रति संलग्न करें। (प्रपत्रों की शेष प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि उन्हें आपको साक्षात्कार के समय अपने मूल अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा)

(3) एक बड़े लिफाफे पर निम्न विवरण अंकित कर उक्त सेट (आवेदन-पत्र तथा समस्त अभिलेख) इस बड़े लिफाफे में रखकर पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग को प्रेषित करें।

विज्ञापन क्रमांक 14/2026 दिनांक 04.11.2026
विधि अधिकारी (Law Officer),
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के पद हेतु आवेदन-पत्र

	प्रति,
	सचिव
प्रेषक:	मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग,
अभ्यर्थी का नाम	रेसीडेंसी एरिया
तथा पता	इंदौर (मध्य प्रदेश) पिन - 452001

(लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पद/ विभाग का नाम अंकित न होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा)

(4) ध्यान रखें अभिलेखों सहित उक्त आवेदन-पत्र दिनांक 28.12.2026 को सायंकाल 6:00 बजे तक आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समयावधि में प्राप्त माना जाएगा । आवेदन-पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय **(प्रात: 10:00 बजे से सायंकाल 6:00 बजे तक)** आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किए जाएंगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जाएगी। अभ्यर्थी आयोग को प्रेषित आवेदन-पत्र तथा अभिलेखों का एक सेट अपने पास सुरक्षित रखें।

10- विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र बिना विलम्ब शुल्क के भुगतान किए निरस्त किए जाएंगे तथा ऑनलाइन जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अत: अभ्यर्थी अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र आयोग को प्रेषित करें।

11- अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की

उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2- आवेदन शुल्क

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
₹ 250/-	₹ 500/-
टीप: आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।	

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो mponline से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज़ करा सकते है :-

हेल्पलाइन – 0755-6720200

नोट : यदि आपको ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :-

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983

एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड, (मध्य प्रदेश शासन तथा टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज का संयुक्त उपक्रम)
ऑफिस ब्लाक OB-14 से 17, चतुर्थ तल, डी.बी. सिटी कार्पोरेट पार्क,
अरेरा हिल्स, ज़ोन-1 के सामने, एम. पी. नगर,
भोपाल-462011 हेल्पलाइन – 0755-6720200

3- आवेदन की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22.12.2026 है।

4- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें:-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/ हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंक-सूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :- दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के http:\\www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

शैक्षणिक अर्हता :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां एवं उपाधि ।

अनुभव के प्रमाण-पत्र :- परिशिष्ट -3 के अनुसार संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए । इस प्रमाण पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ।

जाति के प्रमाण-पत्र :- जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम / उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा |

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ---------- आयोग के मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के विधि अधिकारी (Law Officer) के विज्ञापन क्रमांक 14/2026 दिनांक 04.11.2026 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा हूँ। मै निम्नानुसार घोषणा करता हूँ

1. मै ----------पुत्र/पुत्री श्री---------- निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/----------जिला ----------,मध्य प्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मै ----------जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मै शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मै सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूँ।

दिनांक :- ----------

हस्ताक्षर----------
नाम----------
रोल नंबर----------

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5- अनापत्ति प्रमाण-पत्र समयावधि में विभाग से प्राप्त करना आवेदनकर्ता की जिम्मेदारी है । जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/ विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है, उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/ साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

6- अनुशासनिक निर्देश :- (परीक्षा संबंधी अनुदेश परीक्षा की स्थिति में)

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या

07 परीक्षा कक्ष में अथवा अन्यत्र अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक छति पहुंचाई हो; या

09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमे परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हो; या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

11 परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु प्राप्त उत्तर-पुस्तिका परीक्षा के समाप्त होने पर परीक्षा कक्ष के वीक्षक / परीक्षक को न जमा करते हुए अपने साथ ले गया हो।

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहराया जा सकेगा
और/ या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या

उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

<u>एवं तब शासन द्वारा :-</u>

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7- अनर्हताएँ:- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

8- यात्रा व्यय का भुगतान :-

मध्य प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दृष्टिबाधित दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत नहीं है, मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का भुगतान आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिए वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबन्धित निम्नांकित अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे :-

(01) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।

(02) दृष्टिबाधित दिव्यांगजन अभ्यर्थी हेतु दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।

(03) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गई है तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम] स्वयं के बैंक खाते का नम्बर एवं बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

अनुभव प्रमाण-पत्र

(माननीय उच्च न्यायालय में सेवा-संबंधी प्रकरणों में विधिक कार्य / वकालत अनुभव के संबंध में)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री _____, अधिवक्ता, पिता/पति का नाम _____, नामांकन क्रमांक _____, राज्य अधिवक्ता परिषद _____, ने दिनांक _____ से दिनांक _____ तक (कुल _____ वर्ष _____ माह) माननीय उच्च न्यायालय _____ में सेवा-संबंधी मामलों (Service Matters) में विधिक कार्य/वकालत की है।

उक्त अवधि में अधिवक्ता द्वारा सेवा-संबंधी विषयों—जैसे नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता, वेतन-निर्धारण, वेतनमान, पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभ, विभागीय जांच, सेवा से पृथक्करण, स्थानांतरण, आरक्षण तथा अन्य सेवा शर्तों—से संबंधित प्रकरणों में पक्षकारों की ओर से पैरवी/उपस्थिति/विधिक कार्य किया गया है।

संलग्नक–क में उल्लिखित प्रकरणों का विवरण अभिलेखों के आधार पर सत्यापित किया गया है। प्रमाणित किया जाता है कि सूची में कम-से-कम 50 पृथक-पृथक प्रकरण सम्मिलित हैं, जिनमें निर्णीत तथा लंबित दोनों प्रकार के प्रकरणों का अनुभव दर्शाया गया है। प्रत्येक प्रकरण में अधिवक्ता की उपस्थिति/पैरवी का विवरण उपलब्ध न्यायालयीन अभिलेखों, आदेश-पत्रों, वकालतनामों अथवा अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों से मिलान कर सत्यापित किया गया है।

यह प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी के अनुरोध पर आयोग/संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु जारी किया जा रहा है।

दिनांक
स्थान

हस्ताक्षर :

अध्यक्ष/सचिव, जिला बार एसोसिएशन

नाम :

मोबाइल :

पदमुद्रा सहित

अविरत

संलग्नक–क

शपथ-पत्र

माननीय उच्च न्यायालय में सेवा-संबंधी प्रकरणों में उपस्थिति / पैरवी का विवरण

अभ्यर्थी/अधिवक्ता का नाम : _____

अधिवक्ता नामांकन क्रमांक : _____ अनुभव अवधि : _____

क्र.	प्रकरण क्रमांक एवं वर्ष (W.P./W.A./ अन्य)	पक्षकारों के नाम	न्यायालय/पीठ (इंदौर/जबलपुर/ ग्वालियर)	सेवा-विवाद का संक्षिप्त विषय	उपस्थिति/पैरवी की तिथि(याँ)	प्रकरण की स्थिति (निर्णीत/लंबित)	निर्णय/आदेश दिनांक (यदि लागू हो)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							

क्र.	प्रकरण क्रमांक एवं वर्ष (W.P./W.A./ अन्य)	पक्षकारों के नाम	न्यायालय/पीठ (इंदौर/जबलपुर/ ग्वालियर)	सेवा-विवाद का संक्षिप्त विषय	उपस्थिति/पैरवी की तिथि(याँ)	प्रकरण की स्थिति (निर्णीत/लंबित)	निर्णय/आदेश दिनांक (यदि लागू हो)
46							
47							
48							
49							
50							

घोषणा/सत्यापन : मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरे ज्ञान एवं उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार सत्य एवं सही है। सूचीबद्ध प्रत्येक प्रकरण पृथक प्रकरण है तथा उसमें मेरी उपस्थिति/पैरवी का उल्लेख सही है। आवश्यक होने पर संबंधित वकालतनामा, आदेश-पत्र, दैनिक कारण सूची अथवा अन्य न्यायालयीन अभिलेख प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

प्रतिहस्ताक्षर

शपथ आयुक्त

सील (अनिवार्य)

हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम :-.....

पता :-

.....

मोबाइल नम्बर :-

ई-मेल :-